

118

**IN THE COURT HON'BLE BOARD OF REVENUE,
जिला देवास GWALIOR (MP)**

REVISION:-

1/किगरानी/देवास/आठअठ/2018/0582

Sanjay Jaiswal S/o Shri Rajendra Jaiswal, aged about 30 years, R/o Bhorasa Tahsil Sonkutch, District Devas.

Verses

RESPONDENT:-

1. State of MP through P.S. B.N.P. Devas
2. Commissioner, Excise, Moti Mahal Gwalior
3. Collector, Dewas

श्री. जे. जे. जय शर्मा कानून
द्वारा तैयार कि 12-1-18 को
प्रस्तुत। पारंपरिक तर्क हेतु
दिनांक 8-2-18 तिथि।

[Signature]
बेलके जॉफ क्लर्क
राजस्व मण्डल, म.प्र., ग्वालियर

**REVISION UNDER SECTION OF THE M.P.
EXCISE ACT AGAINST THE ORDER PASSED BY
THE ADDITIONAL COMMISSIONER, EXCISE ON
24/10/2017 IN CASE No. R.E.C./153/2016-17**

12-1-18
श्री. आर. (रा. मं.)
राजस्व मण्डल, ग्वालियर

(Copy of the order dated 24/10/17 is annexed as Annexure P/1)

Oaths

[Signature]


राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर


अनुवृत्ति आदेश पत्रिका

प्र.क्र.पीबीआर/निगरानी/देवास/आ0अ0/18/582

जिला-देवास

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20-2-2018	<p>उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ अपर आबकारी आयुक्त ग्वालियर मध्यप्रदेश के न्यायालय के आदेश दिनांक 24-10-2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया, जिससे स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा अवैध शराब का परिवहन किया जाना प्रमाणित पायेजाने पर कलेक्टर द्वारा आबकारी (संशोधन) अधिनियम 2000 की धारा 47(2) के अन्तर्गत वाहन एवं अवैध शराब राजसात किया गया है जिसमें कोई अवैधानिकता नहीं है । अपर आबकारी आयुक्त द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील 54 दिवस विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण समय बाह्य होने से अग्राह्य की गई है, जिसमें कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है । अतः आवेदक की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।</p>	




अध्यक्ष